

26 MAY 2006

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 23 मई, 2006

क्रमांक एफ 2-11/2006/1/6 :: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, (क. 22 सन् 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार, (अपील) नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

संशोधन

उक्त नियम में,

1. उप नियम 4 की कड़िका (3), (4), (6) एवं उपनियम 5 में शब्द "राज्य सूचना आयुक्त" के स्थान पर शब्द "राज्य सूचना आयोग" प्रतिस्थापित किया जाये।
2. उप नियम 4 की कड़िका (5) में शब्द "सूचना आयुक्त" के स्थान पर शब्द "सूचना आयोग" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(नंद कुमार)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
रायपुर, दिनांक 23 मई, 2006

पृ० क्रमांक एफ 2-11/2006/1/6
प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली,
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग मंत्रालय रायपुर
3. महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर
4. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मंत्रालय रायपुर
6. सचिव, मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, रायपुर
7. समस्त विशेष सहायक/निज सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण

//2//

8. मुख्यसचिव के स्टाफ आफीसर, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, रायपुर
 - ✓ 9. सचिव, राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड, शंकर नगर रायपुर
 10. आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली
 11. सचिव, राजस्व मंडल बिलासपुर
 12. समस्त विभागाध्यक्ष
 13. समस्त कलेक्टर,
 14. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
15. नियंत्रक क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर इस निवेदन के साथ कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ असाधारण राजपत्र में करना सुनिश्चित कर, मुद्रित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग